माननीय न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींडसा के समक्ष

धीरेंद्र छेत्री - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य - उत्तरदाता

2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 20667
2 जुलाई 2013

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14, 16 और 226 - याचिकाकर्ता जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (जीआरईएफ) में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत है, जो एक सीमा सड़क संगठन है - याचिकाकर्ता को कनिष्ठ अभियंता के रूप में चुना गया और उसने जीआरईएफ से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" मांगा - नीति दिनांकित 21.5.2010 जिसमें श्रमशक्ति की कमी के कारण बाहरी रोजगार के लिए आवेदन अग्रेषित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैं उस पर आश्रित होकर "अनापत्ति प्रमाण पत्र" देने से इनकार कर दिया - याचिकाकर्ता ने सीधे तौर पर, उत्तराखंड सरकार द्वारा विज्ञापित पद के लिए आवेदन किया था और लोक सेवा आयोग ने उन्हें चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी थी- अभिनिर्धारित कि बाहरी रोजगार पर प्रतिबंध बिना आधार के नहीं है क्योंकि सीमा सड़कों का निर्माण राज्य की सुरक्षा से जुड़ा एक संप्रभु कार्य है - प्रतिबंध लगाने का निर्णय कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है - रिट याचिका खारिज।

अभिनिर्धारित कि याचिकाकर्ता को उत्तराखंड राज्य में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए चुना गया है। अपने कागजात वर्तमान नियोक्ता के पास रखने के बजाय, याचिकाकर्ता अपने ही राज्य में समकक्ष पद पर शामिल होने की सुविधा के लिए उत्तरदाता अधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने पर जोर दे रहा है, क्यूँकि उसका स्पष्ट कारण हैं कि ताकि उसकी पिछली सेवा के संबंध में स्वीकार्य लाभों के

लिए उसका दावा जीवित रहेगा। मांगी गई 'अनापत्ति' को उत्तरदाता प्राधिकारियों ने दिनांक 21.5.2010 की नीति के आलोक में दिनांक 3.12.2010 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया है। इसे संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीआरईएफ संगठन ने श्रमशक्ति की कमी को ध्यान में रखते हुए बाहरी रोजगार के लिए आवेदन अग्रेषित करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसे निम्नलिखित आशय से आक्षेपित क्रम में पढ़ा गया है:

> "जहां सीमा सड़क संगठन विशेष रूप से जूनियर इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में श्रमशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहा है, वहीं बॉर्डर क्षेत्र में विशेष रूप से भारत-चीन सीमा अक्ष पर सड़कों और पुलों के निर्माण का एक बड़ा लक्ष्य है।"

(पैरा 7)

अग्रसर अभिनिर्धारित, की दिनांक 21.5.2010 की नीति, अनुबंध पी3 के आलोक में बाहरी रोजगार पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को आधारहीन नहीं माना जा सकता है। ऐसा निर्णय नीति निर्माण के दायरे में आएगा जो विशेष रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में होगा। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश न्यूनतम होगी। याचिकाकर्ता यह मामला बनाने में सक्षम नहीं है कि दिनांक 21.5.2010 की नीति अनावश्यक कारणों पर आधारित है या ऐसी नीति में कोई उद्देश्य नहीं है।

(पैरा 8)

अग्रसर अभिनिर्धारित कि, एक और पहलू है जो इस न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने से रोकेगा। जीआरईएफ एक सीमा सड़क संगठन है। यह सीमा क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण जैसे संप्रभु कार्यों में लगा हुआ है। अनुबंध पी3 पर दिनांक 21.5.2010 की नीति संगठनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित है और जो सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी अर्ध-सैन्य बल को किसी कर्मचारी को 'अनापत्ति

प्रमाणपत्र' जारी करने के निर्देश जारी नहीं करेगा, जो राष्ट्र सुरक्षा के हित में लिए गए नीतिगत निर्णय के विपरीत होगा।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, आर.डी. बावा।

डी.एस. बिश्नोई, प्रतिवादियों के अधिवक्ता।

<u>माननीय न्यायमूर्ति तेजिंदर सिंह ढींडसा</u>

(1) याचिकाकर्ता, जो जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (संक्षेप में 'जीआरईएफ') के साथ जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर कार्यरत है, ने आदेश दिनांक 3.10.2012, अनुबंध पी 14 को चुनौती देते हुए तत्काल रिट याचिका दायर की है, जिसके तहत प्रतिवादी-अधिकारियों ने पेयजल निगम, उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के समकक्ष पद पर शामिल होने के लिए 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। आगे की चुनौती नीति दिनांक 21.5.2010, अनुबंध पी3 को लेकर है, जिसके तहत बाहरी रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है और जिसके आलोक में दिनांक 3.10.2012, अनुबंध पी14, पारित किया गया है।

(2) मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता जीआरईएफ में कार्यरत है जो एक सीमा सड़क संगठन है। उत्तराखंड राज्य के रहने वाले याचिकाकर्ता ने वर्ष 1995 में तकनीकी शिक्षा बोर्ड (यूपी) से सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा उत्तीर्ण किया। उन्हें 9.12.1998 को जीआरईएफ में ओवरसियर के पद पर चुना गया और नियुक्त किया गया। ओवरसियर का पद जूनियर इंजीनियर (सिविल) के रूप में पुनः नामित किया गया है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पेयजल निगम देहरादून, उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 60 पदों का विज्ञापन दिया। याचिकाकर्ता ने एक आवेदन को अपने विभाग में भेजने के साथ-साथ एक और आवेदन सीधे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को जमा करने के लिए आवेदन किया था। आयोग ने याचिकाकर्ता द्वारा सीधे प्रस्तुत किए गए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए, उसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने की

अनुमति दी और अंतिम चयन सूची में, याचिकाकर्ता को उत्तराखंड में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए चयनित दिखाया गया है।

(3) यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अपने वर्तमान नियोक्ता i.c. जीआरईएफ को उत्तराखंड राज्य में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद पर उनकी नियुक्ति की सुविधा प्रदान करने के किए , 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने के लिए दिनांक 11.6.2012 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था। चूंकि अपेक्षित 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' उपलब्ध नहीं था, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 18013/2012 दायर की और दिनांक 13.9.2012 के आदेश के तहत महानिदेशक सीमा सड़क संगठन को विचार करने के निर्देश के साथ याचिकाकर्ता को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने के संबंध में अंतिम निर्णय को लेकर, इसका निपटारा कर दिया गया। ऐसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के आलोक में है आक्षेपित आदेश दिनांक 3.10.2012, अनुलग्नक पी 14, द्वारा पारित किया गया है जिसमें सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक ने अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार कर दिया है।

(4) याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता, श्री आरडी बावा ने जोरदार तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' देने से इनकार करने के लिए सीमा सड़क संगठन में श्रमशक्ति की कमी का कारण बताने में प्रतिवादी-अधिकारियों की कार्रवाई मनमाना है। यह तर्क दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर पदों को न भरने में प्रतिवादी-विभाग की विफलता के कारण याचिकाकर्ता को पीड़ित नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के पास किसी भी विभाग में और देश में कहीं भी सेवा करने का मौलिक अधिकार है और वर्तमान संगठन के बाहर रोजगार मांगने के ऐसे अधिकार को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' से इनकार करने के संदर्भ में रोका या कम नहीं किया जा सकता है। ऐसे आधारों पर दिनांक 21.5.2010 की नीति अनुबंध पी3 जो बाहरी रोजगार पर प्रतिबंध लगाती हैं को रद्द करने की प्रार्थना की गई है। अग्रसर, अधीक्षक बीआर-I के पद पर कार्यरत भोला प्रसाद जिसे संगठन के बाहर किसी पद पर शामिल होने के लिए अपेक्षित 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्रदान किया गया था, का उदाहरण देकर भेदभाव

की दलील उठाई गई है। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी-अधिकारियों की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है।

(5) इसके विपरीत, उत्तरदाताओं की ओर से पेश अधिवक्ता, श्री डीएस बिश्नोई, ने दायर किए गए संयुक्त लिखित कथन का उल्लेख करेंगे और प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-विभाग से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए आवेदन किया था।। विद्वान अधिवक्ता अग्रसर प्रस्तुत करेंगे कि प्रतिवादी-विभाग को श्रमशक्ति की कमी का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से अधीनस्थ श्रेणी में और, तदनुसार, दिनांक 21.5.2010 की नीति के तहत इस तरह के प्रतिबंध के आलोक में बाहरी रोजगार पर आवेदन अग्रेषित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है और जनशक्ति की स्थिति में सुधार होने तक यह लागू रहेगा। विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करेंगे कि याचिकाकर्ता के पास 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने का कोई निहित अधिकार नहीं है और याचिकाकर्ता के लिए अपने गृह राज्य में रोजगार के अवसर का लाभ उठाने के लिए संगठन से इस्तीफा देना हमेशा खुला रहेगा।

(6) पक्षों के विद्वान वकीलों को विस्तार से सुनने और रिकॉर्ड पर दलीलों का अध्ययन करने के बाद, मेरा मानना है कि इस रिट के मामले में अदालत के हाथों किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी।

(7) याचिकाकर्ता को उत्तराखंड राज्य में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए चुना गया है। अपने कागजात वर्तमान नियोक्ता के पास रखने के बजाय, याचिकाकर्ता अपने ही राज्य में समकक्ष पद पर शामिल होने की सुविधा के लिए उत्तरदाता अधिकारियों से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने पर जोर दे रहा है, क्यूँकि उसका स्पष्ट कारण हैं कि ताकि उसकी पिछली सेवा के संबंध में स्वीकार्य लाभों के लिए उसका दावा जीवित रहेगा। मांगी गई 'अनापत्ति' को उत्तरदाता प्राधिकारियों ने दिनांक 21.5.2010 की नीति के आलोक में दिनांक 3.12.2010 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया है। इसे संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जीआरईएफ संगठन ने श्रमशक्ति की कमी को ध्यान में रखते

हुए बाहरी रोजगार के लिए आवेदन अग्रेषित करने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसे निम्नलिखित आशय से आक्षेपित क्रम में पढ़ा गया है:

> "जहां सीमा सड़क संगठन विशेष रूप से जूनियर इंजीनियर (सिविल) के ग्रेड में श्रमशक्ति की भारी कमी का सामना कर रहा है, वहीं बॉर्डर क्षेत्र में विशेष रूप से भारत-चीन सीमा अक्ष पर सड़कों और पुलों के निर्माण का एक बड़ा लक्ष्य है।"

(8) दिनांक 21.5.2010 की नीति, अनुबंध पी3 के आलोक में बाहरी रोजगार पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय को आधारहीन नहीं माना जा सकता है। ऐसा निर्णय नीति निर्माण के दायरे में आएगा जो विशेष रूप से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में होगा। ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की गुंजाइश न्यूनतम होगी। याचिकाकर्ता यह मामला बनाने में सक्षम नहीं है कि दिनांक 21.5.2010 की नीति अनावश्यक कारणों पर आधारित है या ऐसी नीति में कोई उद्देश्य नहीं है।

(9) एक और पहलू है जो इस न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने से रोकेगा। जीआरईएफ एक सीमा सड़क संगठन है। यह सीमा क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण जैसे संप्रभु कार्यों में लगा हुआ है। अनुबंध पी3 पर दिनांक 21.5.2010 की नीति संगठनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित है और जो सीधे राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय अपने रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए किसी अर्ध-सैन्य बल को किसी कर्मचारी को 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने के निर्देश जारी नहीं करेगा, जो राष्ट्र सुरक्षा के हित में लिए गए नीतिगत निर्णय के विपरीत होगा।

(10) यहां तक कि याचिकाकर्ता की ओर से भेदभाव के संबंध में उठाई गई दलील भी बिना किसी प्रभाव के है। इस तरह की कार्रवाई को लिखित कथन में दिए गए कथनों के आलोक में उचित ठहराया गया है, जिसमें कहा गया है कि भोला प्रसाद ने निचले पद पर रहते हुए सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पद के लिए आवेदन किया था,

जबकि याचिकाकर्ता ने संगठन के बाहर समकक्ष पद पर शामिल होने के लिए 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की माँग कर रहा हैं। ज़ाहिर तौर पर, केवल उन कर्मचारियों के मामले में 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी करने के संबंध में एक अपवाद बनाया गया है, जिसमें ऐसे कर्मचारियों को उच्च पद पर शामिल होने से लाभ होगा। याचिकाकर्ता का मामला, बेशक, एक अलग स्तर पर है।

(11) ऊपर दर्ज कारणों से, मुझे तत्काल रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं मिली और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ऋतु

तंवर

प्रिशक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

हरियाणा न्यायिक सर्विसेज़